आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–111/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
श्रीमती मीना देवी—–विक्रेता
प्रति
श्रीमती रेणुका कुमारी—–क्रेता

–:आदेश:–

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका/विक्रेता श्रीमती मीना देवी, पति–श्री बबन कुमार रवि, ग्राम–गोसांग, (टोला कोदवरिया) पोस्ट–कुशहा, थाना–काण्डी, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती रेणुका कुमारी, पति–रामअवतार रविदास, ग्राम–ओखरगाड़ा, (टोला परसही) पोस्ट–ओखरगाड़ा, थाना–मेराल, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 286/दिनांक 07.09.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, गढ़वा का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के स्वयं के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के चमार (अनूसुचित जाति) एवं क्रेता जाति के चमार (अनूसुचित जाति) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदिका/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदिका/विक्रेता श्रीमती मीना देवी, पति–श्री बबन कुमार रवि, ग्राम–गोसांग, (टोला कोदवरिया) पोस्ट–कुशहा, थाना–काण्डी, जिला–गढ़वा ने क्रेता श्रीमती रेणुका कुमारी, पति–रामअवतार रविदास, ग्राम–ओखरगाड़ा, (टोला परसही) पोस्ट–ओखरगाड़ा, थाना–मेराल, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
नारायणपुर	348	79	530	$0.03\frac{3}{4}$	उ०–नीज विक्रेता, द०–पी०सी०सी० रास्ता, पू०–कच्ची रास्ता वो नीज विक्रेता, प०–देवकुमारी देवी,
			कुल रकबा:–	$0.03\frac{3}{4}$	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

22/2/23 | 22/2/23
अपर समाहर्त्ता, गढ़वा | अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2023.03.15 16:41:28 +05:30
Location: 192.168.4.160

Scanned with CamScanner